रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 863] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 2001/अग्रहायण 3, 1923

No. 863] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24, 2001/AGRAHAYANA 3, 1923

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2001

का. आ. 1167(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद संख्यांक (XIX)(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (XIX) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य	(अवधि जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है)
"(XIX) (क) श्री एस.एस. प्रसाद सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति वनस्पति संरक्षण, करंतीन और भंडारण निदेशालय, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, फरीदाबाद	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए)"

[फा. सं. 19(1)/2000-पी.पी. I]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. 301, दिनांक 27 फरवरी, 1971 में प्रकाशत किये गये थे तत्पश्चात् निम्न संशोधन किये गये :—

(i) सा.का.नि. 1216 दिनांक 19-8-1971

(ii) सा.का.नि. 478(अ) दिनांक 10-8-1976

(iii) सा.का.नि. 848(अ) दिनांक 25-10-1989

(iv) सा.का.नि. 528(अ) दिनांक 19-7-1993

(v) सा.का.नि. 849(अ) दिनांक 20-10-1995

(vi) सा.का.नि. 346(अ) दिनांक 24-4-1997

3628 GI/2001

(vii) सा.का.नि. 70(अ) दिनांक 20-1-1998

(viii) सा.का.नि. 132(अ) दिनांक 24-2-1999

(ix) सा.का.नि. 807(अ) दिनांक 6-9-2000

(x) सा.का.नि. 1095(अ) दिनांक 7-12-2000

(xi) सा.का.नि. 12(अ) दिनांक 5-1-2001

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2001

S.O. 1167(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation number GSR 301, dated 27th February, 1971, namely :—

In the said notification, for item number (xix)(a) and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :—

Member nominated under clause (xix) of Sub-section (3) of section 4 :	(Period upto which nominated)
"(xix) (a) Shri S.S. Prasad Secretary, Central Insecticides Board and Registration Committee Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, NH IV, Faridabad.	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification)."

[F. No. 19-1/2000-PP.I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 and subsequently amended vide :—

(i) G.S.R. 1216 dated the 19th August, 1971,

(ii) G.S.R. 478 (E) dated the 10th August, 1976,

(iii) S.O. 848 (E) dated the 25th October, 1989,

(iv) S.O. 528 (E) dated the 19th July, 1993,

(v) S.O. 849 (E) dated the 20th October, 1995,

(vi) S.O. 346 (E) dated the 24th April, 1997,

(vii) S.O. 70 (E) dated the 20th January, 1998,

(viii) S.O. 132 (E) dated the 24th February, 1999,

(ix) S.O. 807 (E) dated the 6th September, 2000,

(x) S.O. 1095 (E) dated the 7th December, 2000, and

(xi) S.O. 12 (E) dated the 5th January, 2001.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.